

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ५०]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी १३, १९७०/माघ २४, १८९१

No. ५०]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1970/MAGHA 24, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 13th February 1970

S.O. 616.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 620/18A/IDRA/69, dated the 14th February, 1969, the management of the industrial undertaking known as the New Maneckchock Spinning and Weaving Co. Ltd., Ahmedabad, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order mentioned above for a period upto and inclusive of 13th February, 1970;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period upto and inclusive of 23rd March, 1970;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 23rd March, 1970.

[No. F. 9(15)/69-Tex(G.)]

DEVINDAR NATH, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1970

का० आ० 616:—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 620/18ए/आई० डी० आर० ए० /69 दिनांक 14 फरवरी, 1969 द्वारा न्यू मानक चौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०, अहमदाबाद नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरोक्त आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 13 फरवरी, 1970 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण 23 मार्च, 1970, तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बना रहना चाहिये ।

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा निदेश देती है कि उपरिर्वाण आदेश का प्रभाव 23 मार्च, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिये ओर बना रहेगा ।

[सं० फा० 9(115)/69-टैक्स (जी)]

देवेन्द्र नाथ, संयुक्त सचिव ।